

संख्या— 1037 / सात-न्याय-2-2014-36जी / 2013

प्रेषक,

एस0 के0 पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग-2(अधीनस्थ न्यायालय)लखनऊ: दिनांक 01 सितम्बर, 2014

विषय:- महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र संख्या-10169/मेन-बी/एडमिन (ए-3) दिनांक 22 जुलाई, 2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 उच्च न्यायालय के परामर्श से श्री राज्यपाल महोदय महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रथम चरण में 05 न्यायालयों/अस्थायी निःसंवर्गीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पदों को समायोजित करते हुये महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक मुकदमों को त्वरित निस्तरण के लिये उ0 प्र0 के प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर ^{के} 01-01 फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु कुल 80 अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके सर्पोटिंग स्टाफ के लिये कुल 320 पद, जिनका विवरण निम्नवत् है, इस आदेश के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के पहले ही न समाप्त कर दिये जायें, स्थापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :—

क्र. सं	पदनाम	वेतनमान (रुपये)	ग्रेड पे (रुपये)	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1-	अपर जिला	51550-1230-	0	80

संख्या— 1037 / सात—न्याय—2—2014—36जी / 2013

प्रेषक,

एस० के० पाण्डेय,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

महानिबन्धक,
उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद ।

न्याय अनुभाग—2(अधीनस्थ न्यायालय)लखनऊः दिनांक 01 सितम्बर, 2014

विषय:- महिलाओं के विरुद्ध अपराधिक मुकदमों को शीघ्र
निस्तारित करने हेतु प्रत्येक जनपद में एक-एक
फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्र
संख्या—10169 / मेन-बी / एडमिन (ए-3) दिनांक 22 जुलाई, 2014 के
संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा० उच्च न्यायालय
के परामर्श से श्री राज्यपाल महोदय महिलाओं के विरुद्ध
अपराधिक मुकदमों को शीघ्र निस्तारित करने हेतु प्रथम चरण
में 05 न्यायालयों/अस्थायी निः संवर्गीय अपर जिला एवं सत्र
न्यायाधीश के पदों को समायोजित करते हुये महिलाओं के
विरुद्ध अपराधिक मुकदमों को त्वरित निर्तंरण के लिये उ०
प्र० के प्रत्येक जनपद में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश स्तर
के 01—01 फास्ट ट्रैक कोर्ट हेतु कुल 80 अपर जिला एवं
सत्र न्यायाधीश के न्यायालय तथा उनके सर्पोटिंग स्टाफ के
लिये कुल 320 पद, जिनका विवरण निम्नवत् है, इस आदेश
के जारी होने के उपरान्त कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से
दिनांक 28 फरवरी, 2015 तक यदि बिना किसी पूर्व सूचना के
पहले ही न समाप्त कर दिये जायें, रथापित किये जाने की
सहर्ष स्वीकृत प्रदान करते हैं :—

क्र० सं०	पदनाम	वेतनमान (रुपये)	ग्रेड पे (रुपये)	पदों की संख्या
1	2	3	4	5
1-	अपर जिला	51550—1230—	0	80

	एवं साक्ष	68890-1380 63070		
2-	वरिष्ठ	6200-20200	2800	80
3-	सहायक आधुनिकिता- प्रौद्योगिकी-2	9300-34800	4200	80
4-	वर्गीकरण सहायक	5200-20200	2000	80
5-	अनुशंसक	5200-20200	1800	80

लकुण थोग=धार सी (100)

2-- इन पदों के धारकों को महंगाई भत्ता तथा अन्य शर्तों
एस रीमा तक प्राप्त होंगे, जिस रीमा तक समय-समय पर लागू
नियमों एवं राजांशाओं द्वारा ये उसके अधिकारी होंगे।

3-- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015
के आय-व्ययक अनुसार संख्या-12 के अनुरूपत लेखा सीरिक "2014-
न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेशन्स
न्यायालय-03-जिला तथा सेशन्स न्यायाधीश तथा 108-दण्ड-
न्यायालय-03-नियमित अधिकारी" वर्गी सुसंगत इवगाईयों के नाम
आला जायेगा।

4-- ये आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-
12-1389 / दस-2014, दिनांक 01 सितम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी
सहमति से जिर्ता किये जा रहे हैं।

भवद्वीय,

(एस० क०० पाण्डेय)

प्रमुखा सचिव।

संख्या-1037(1) / सात-न्याय-2-2014, सदृशिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित वर्ग सूचनार्थः एवं आवश्यक कार्यवाही
हेतु प्रेषितः-

- 1-- महालेखाकार, लेखा एवं दक्षतारी/आडिट-2, उप्र० इलाहाबाद।
- 2-- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- 3-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-- समस्त कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-- वित्त (ई-12) अनुभाग। (03 प्रतियों में)
- 6-- वित्त (वेलन-3ायोग) अनुभाग-1/2

	एवं राज्य न्यायाधीश	68930-1380- 63070		
2-	तरिष्ठ सहायक	5200-20200	2800	80
3-	आशुलिपिका- प्रैरु-2	9300-34800	4200	80
4-	कानिष्ठ सहायक	5200-20200	2000	80
5-	अनुसेवक	5200-20200	1800	80

कुल योग=धार री (100)

2-- इन पदों के धारकों द्वारा मुहुर्गाई भत्ता तथा आन्य भत्ते उस सीमा तक प्राप्त होंगे, जिस सीमा तक समय-समय पर लागू नियमों एवं राजांशाओं द्वारा दे उसके अधिकारी होंगे।

3-- इस संबंध में दोनों वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आश-व्यापक अनुसान संख्या-42 के अन्तर्गत लेखा सीरिक "2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेत्तर-105-सिविल और सेपान्स न्यायालय-03-जिला तथा सेपान्स न्यायाधीश तथा 108-दण्ड न्यायालय-03-नियमित अधिष्ठान" की सुसंगत इच्छाओं के नाम द्वारा जारीगा।

4-- ये आदेश वित्त विभाग के अशासवार्षीय संख्या-ई-12-1389 / सप्त-2014, दिनांक 01 सिताम्बर, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवतीय,

(एस० को० पाण्डे)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1037(1) / सात-न्याय-2-2014, सदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थकृत आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1-- महालेखावगर, लेखा एवं उदासारी/आडिट-2, उ०प्र० इलाहाबाद।
- 2-- समस्त जनपद न्यायाधीश, उत्तर प्रदेश।
- 3-- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-- समस्त विधायिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 5-- वित्त (ई-12) अनुगाम। (03 प्रतियों में)
- 6-- वित्त (वेतन-आयोग) अनुभाग-1/2

—3—

- 7— वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8— नियुक्ति अनुभाग-4
- 9— न्याय अनुभाग-9 (बजट)
- 10— संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जो पौर सिंह-II)
विशेष सचिव।


प्र

f

—3—

- 7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
- 8- नियुक्ति अनुभाग-4
- 9- न्याय अनुभाग-७ (वजट)
- 10- संबंधित समीक्षा अधिकारी/गार्ड बुक।

आज्ञा से,


 (जे० पौ० सिंह-II)
 विशेष सचिव।